भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1072

02.12.2024 को उत्तर के लिए

समुद्री प्रजातियों का सरंक्षण

1072. श्री वाई.एस. अविनाश रेड्डी:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) समुद्री प्रजातियों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार समुद्री प्रजातियों के संरक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री:
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क), (ख) एवं (ग) सरकार ने समुद्री प्रजातियों के संरक्षण के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

i. वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत समुद्री प्रजातियों के संरक्षण के लिए देश के तटीय राज्यों और द्वीपों में संरक्षित क्षेत्रों का एक नेटवर्क बनाया गया है।
ii. कई संकटापन्न समुद्री प्रजातियों को शिकार से सुरक्षा प्रदान करते हुए उन्हें वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की अनुसूची I और II में सूचीबद्ध किया गया है।
iii. मंत्रालय ने वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन किया है ताकि अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में भारतीय तटरक्षकों को प्रवेश, तलाशी, गिरफ्तारी और हिरासत में लेने का अधिकार दिया जा सके।
iv. मंत्रालय ने भारत में समुद्री कछुओं और उनके पर्यावासों के संरक्षण के उद्देश्य से राष्ट्रीय समुद्री कछुआ कार्य योजना शुरू की है।
v. मंत्रालय ने विशाल समुद्री जीवों के फंस जाने और उलझने की समस्याओं के प्रबंधन के लिए वर्ष 2021 में 'समुद्री मेगा जीव स्ट्रैंडिंग प्रबंधन दिशानिर्देश' जारी किए हैं।
vi. तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) अधिसूचना, 2019 जिसे पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत लागू किया गया था, के तहत पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (ईएसए) जैसे मैंग्रोव, समुद्री घास, रेत के टीले, प्रवाल और प्रवाल भित्तियाँ, जैविक रूप से सक्रिय मिट्टी के मैदान, कछुओं के घोंसले के मैदान और हॉर्स शू केंकड़ों के पर्यावास के संरक्षण और प्रबंधन योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है।

vii. यह मंत्रालय समुद्री जीवों और उनके पर्यावास सहित वन्यजीवों के संरक्षण के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना 'वन्यजीव पर्यावासों का विकास' के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। जिसका विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।

viii. यह मंत्रालय, कोरल और मैंग्रोव के संरक्षण के लिए समुद्री राज्यों को केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत निधि प्रदान कर रहा है।

ix. राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण के तहत मंत्रालय डुगोंग और उनके पर्यावासों के संरक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

अनुलग्नक-1

''समुद्री प्रजातियों के संरक्षण'' के संबंध में दिनांक 02.12.2024 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अंतारांकित प्रश्न संख्या 1072 के भाग (क), (ख) एवं (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

तटीय राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को 'केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम (सीएसएस)- वन्यजीव पर्यावासों का विकास' के तहत जारी धनराशी का ब्यौरा।

क्रं. सं.	**राज्यों का नाम/ संघ राज्य क्षेत्रों के नाम**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
1.	अंडमान/निकोबार द्वीप समूह	132.64	0	135.77	25.125	0
2.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0
3.	गोवा	111.654	0	0	0	50.10
4.	गुजरात	0	124.5849	0	200.01	206.99
5.	कर्नाटक	739.046	586.12634	1256.59314	291.71146	581.52346
6.	केरल	845.026	731.2845	295.7737	224.4735	921.0361
7.	महाराष्ट्र	715.781	146.08	0	350.3879	554.69645
8.	ओडिशा	701..504	697.50	726.80273	967.4976	612.81161
9.	तमिलनाडु	409.505	334.0354	390.75715	132.95205	373.8902
10.	पश्चिम बंगाल	891.073	710.61953	757.25599	201.30866	385.29988
11.	पुदुचेरी	0	0	0	0	5.22
12.	लक्षद्वीप	193.272	462.409	462.086	269.9055	124.655
	कुल योग	4739.501	3792.64	4025.039	2663.372	3816.223